श्रीगंगानगर
/20
नम्बर व ता
अहकाम जो
हुक्म की तामि
में जारी हुए

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक जिलाधीश, सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :–सदीप कुमार (आर. ए. एस.)

वाद सं.– 156/2020 दायरा दिनाक 30.09.2020

दिनेश कुमार जोईया पुत्र श्री अमीलाल जाति नायक साकिन मकान न. 2/120 नया हाउसिग बोर्ड कॉलोनी, सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगगांनगर राजस्थान।

–वादी

बनाम

1 बुधराम पुत्र श्री भैराराम जाति नायक फौत जरिये वारिस :–

1/1 रतीराम 1/2 विधा 1/3 कमला 1/4 केसर देवी	पिसरान बुधराम अकवाम नायक साकिन बीरमाना हाल 65 जीबी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।

2 नाथी पत्नी श्री कालूराम जाति नायक साकिन 6 एपी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

3 कलावती पत्नी श्री बृजलाल जाति नायक साकिन 6 एपी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

4 रामकुमारी पुत्री श्री बृजलाल पत्नी श्री सतपाल जाति नायक साकिन 6 एपी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

5 रामचन्द्र पुत्र श्री सुखराम जाति नायक (सही जाति मेघवाल) साकिन बीरमाना तहसील सूरतगढ जिला श्रीगगांनगर राजस्थानं।

6 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़।

–प्रतिवादीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 209 आरटीए 1955

उपस्थित :–
1. श्री शिशपाल शर्मा अधिवक्ता – वादी
2. श्री अजय कुमार अरोड़ा अधिवक्ता – प्रतिवादी न. 1/1 ता 1/4
3. श्री रामकुमार वर्मा अधिवक्ता – प्रतिवादी न. 4
4. राजस्थान सरकार पैरोकार राज तहसीलदार सूरतगढ़।

–:: निर्णय ::– दिनांक :– 02.02.2024

पत्रावली वास्ते निणर्य पेश हुई। अधिवक्ता वादी ने वाद पत्र के तथ्यो को दोहराते हूऐ निवेदन किया कि वादी एंव प्रतिवादीगण के नाम से चक 6 एपी की जमाबन्दी सम्वत् 2068 ता 71 के खाता न. 27/28 के पत्थर न. 234/39 (31) के किला न. 19/0.253, 21/1 में 0.190, 22/1 में 0.228, 23/1 में 0.228 हैक. व पत्थर न. 234/32 (45) के किला न. 1/0.253, 10–11/0.506, 16/0.253, 20 ता 25/1.518 हैक. व पत्थर न. 235/17 (55) के किला न. 5–6/0.506, 15/0.253 हैक. इस प्रकार तीनो पत्थर नम्बरान में 4.188 हैक.नहरी भूमि में वादी के नाम 1.469 हैक. व प्रतिवादी न. 1 (बीरबल) के नाम 0.524 हैक. व प्रतिवादी न. 2 (बुधराम) के नाम 0.524 हैक. व प्रतिवादी न. 3 (नाथी) के नाम 0.523 हैक. व

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

लगातार पेज 2 पर

प्रतिवादी न. 4 (कलावती) व प्रतिवादी न. 5 (राजकुमारी) के नाम 0.785 हैक. व प्रतिवादी न. 6 (रामचन्द्र) के नाम 0.178 हैक. व प्रतिवादी न. 7 (आशाराम) के नाम 0.185 हैक. खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। चक 6 एपी के उक्त 4.188 हैक. भूमि में पूर्व में वादी एंव प्रतिवादीगण ने घरू बटवारा कर रखा है जिसमें वादी का चक 6 एपी के पत्थर न. 234 / 32 (45) के किला न. 1–10–11–20–22 / 1.265, 21 / 0.204 हैक. (उतरी पासा) कुल 1.469 हैक. नहरी रकबा पर कब्जा काश्त है तथा वादी का किला न. 1 में रिहायशी ढ़ाणी बनी हुई है व किला न. 21 में टयूबवैल लगा हुआ है तथा प्रतिवादी न. 1 ता 7 का चक 6 एपी के पत्थर न. 234 / 39 (31) के किला न. 19 / 0.253, 21 / 1 में 0.190, 22 / 1 में 0.228, 23 / 1 में 0.228 हैक. कुल 0.899 हैक. व पत्थर न. 234 / 32 (45) के किला न. 16 / 0.253, 21 / 0.049 हैक. (दक्षिणी पासा), 23 ता 25 / 0.759 हैक. कुल 1.061 हैक. व पत्थर न. 235 / 17 (55) के किला न. 5–6 / 0.506, 15 / 0.253 हैक. कुल 0.759 हैक. इस प्रकार कुल 2.719 हैक. नहरी भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। इसी रकबा को वादी खाता विभाजन में प्राप्त करना चाहता है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादीगण न. 3 व 4 व 6 ता 7 को बार बार आवाजे लगवाई गई बावजूद रजिस्टर सूचना हाजिर नही आने पर इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई व प्रतिवादी न. 1, 2 / 1 से 2 / 4, 5 व 8 को कोस्ट पर अवसर दिये जाने उपरान्त भी जवाब दावा पेश नही किया गया इसलिये प्रतिवादी न. 1, 2 / 1 से 2 / 4, 5 व 8 जवाब दावा बन्द किया गया व साक्ष्यवादी में वादी एंव विक्रम ने उपस्थित होकर साक्ष्यवादी ब्यान शपथ पत्र पेश किये गये व साक्ष्य प्रतिवादी नही करवाने के कारण बन्द किये गये तत्पश्चात् वादी अमीलाल पुत्र रामरख जाति नायक साकिन सूरतगढ़ ने अपने नाम के जैरप्रकरण रकबा को प्रार्थी दिनेश कुमार के पक्ष में जरिये दान पत्र हिस्सा छोड़ दिया है तथा प्रतिवादी न. 1 बीरबल ने अपने नाम का सम्पूर्ण रकबा को प्रार्थी दिनेश कुमार को बैचान कर दिया है इसलिये वादी अमीलाल के स्थान पर दिनेश कुमार को पक्षकार मुकदमा बनाया गया व प्रतिवादी न. 1 बीरबल का नाम कलमजन किया गया तथा प्रतिवादी न. 5 राजकुमारी का नाम जरिये शुद्व पत्र से रामकुमारी होने से रामकुमारी दर्ज किया गया व प्रतिवादी न. 7 आशाराम ने अपने नाम के जैरप्रकरण रकबा को प्रतिवादी न. 5 को बैय कर दिया इसलिये प्रतिवादी न. 7 आशाराम का नाम कलमजन किया गया इसप्रकार वादी दिनेशकुमार का जैर प्रकरण रकबा मे 1.993 हैक व रामकुमारी का 4.188 हैक मे 131 / 1396 हिस्सा व 185 / 4188 हिस्सा दर्ज रिकार्ड हो गया है व प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के स्वीकार दिनांक 15.09.23 को हो जाने पर अमीलाल व बीरबल का जैरप्रकरण रकबा से नाम कलमजन हो जाने से दावा से नाम हटाया जाकर यह सशोधित शीर्षक पेश किया । दावा मे किसी भी प्रतिवादी ने दावा के विरोध स्वरूप जबाब पेंश नही किया इसलिये तनकीयात कायम नही की गई व साक्ष्यवादी मे वादी स्वय अमीलाल के ब्यान व स्वतन्त्र गवाह विक्रम के बयान करवाये गये व दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श न 1 ता 4 पेश हूऐ व प्रतिवादीगण ने कोई साक्ष्य पेश नही किये इसलिये प्रकरण मे उभय पक्ष की बहस सूनी गई।

वादी ने बहस में निवेदन किया कि इस प्रकरण में वर्णित वादी का अपने हिस्सा के रकबा पर कब्जा काश्त है व वादी ने अपने हिस्सा के रकबा को सूधार क काबिल काश्त किया व जैर प्रकरण रकबा मे वादी ने टयूबवैल लगा रखा है व खेत मे अवारा पशुओ की

लगातार पेज 3 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

सुरक्षा के लिये ढाणी भी बना रखी है इसलिये वादी को खाता विभाजन मे कब्जा काश्त का रकबा दिया जावे व अधिवक्ता प्रतिवादी ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि जैर प्रकरण रकबा सॉझे खाते का इसलिये सभी काश्तकारो का अच्छी मे से अच्छी व खराब मे से खराब व रास्ता खाले की सुविधा को ध्यान मे रखकर मुताबिक कब्जा काश्त तहसीलदार सूरतगढ़ से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर खाता विभाजन किया जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। जैर प्रकरण चक 6 एपी की जमाबन्दी सम्वत् 2068 ता 71 के खाता न. 27/28 के पत्थर न. 234/39 (31) के किला न. 19/0.253, 21/1 में 0.190, 22/1 में 0.228, 23/1 में 0.228 हैक. व पत्थर न. 234/32 (45) के किला न. 1/0.253, 10–11/0.506, 16/0.253, 20 ता 25/1.518 हैक. व पत्थर न. 235/17 (55) के किला न. 5–6/0.506, 15/0.253 हैक. इस प्रकार तीनो पत्थर नम्बरान में 4.188 हैक. में दर्ज सहकाश्तकारो का हिस्सेनुसार कब्जा होना स्वीकार कर रहे है परन्तु सह काश्तकारो का घरू बॅवटवारा कतई नही हुआ इसलिये हम जैर प्रकरण रकबा मे वादी के रकबा का खाता विभाजन के लिये वादी के कब्जा काश्त को व रिहायशी ढ़ाणी व टयूबवैल को ध्यान में रखते हुये व वादी को रास्ता खाला की सुविधा प्रदान करते हुये विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार सूरतगढ़ से मगंवाया जाना उचित है।

अतः वाद वादी ऑशिक स्वीकार कर जैर प्रकरण चक 6 एपी की जमाबन्दी सम्वत् 2068 ता 71 के खाता न. 27/28 के पत्थर न. 234/39 (31) के किला न. 19/0.253, 21/1 में 0.190, 22/1 में 0.228, 23/1 में 0.228 हैक. व पत्थर न. 234/32 (45) के किला न. 1/0.253, 10–11/0.506, 16/0.253, 20 ता 25/1.518 हैक. व पत्थर न. 235/17 (55) के किला न. 5–6/0.506, 15/0.253 हैक. इस प्रकार तीनो पत्थर नम्बरान में 4.188 हैक. नहरी मे से वादी के रकबा का खाता विभाजन के लिये तहसीलदार सूरतगढ को आदेशित किया जाता है वो उक्त रकबा का, राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 18 ता 21 की पालना मे वादी के रिहायसी ढाणी व टयूबवैल व कब्जा काश्त को ध्यान मे रखते हूऐ व रास्ता खाला की सुविधा प्रदान करते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवावे । पर्चा डिक्री जारी हो । विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर पत्रावली पूनः पेश हो।

फैसला खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली दफतर दाखिल हो।

(सदीप कमार)
उपखण्ड अधिकारी,
सूरतगढ़।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(ओ0 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

–:: परचा डिक्री ::–

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगगांनगर

(बइजलास :– सन्दीप कुमार, आर ए एस)

–:: अनवान ::–

दिनेश कुमार जोईया पुत्र श्री अमीलाल जाति नायक साकिन मकान न. 2/120 नया हाउसिग बोर्ड कॉलोनी, सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगगांनगर राजस्थान।

–वादी

बनाम

1. बुधराम पुत्र श्री भैराराम जाति नायक फौत जरिये वारिस :–
   1/1 रतीराम
   1/2 विधा
   1/3 कमला
   1/4 केसर देवी
   } पिसरान बुधराम अकवाम नायक साकिन बीरमाना हाल 65 जीबी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।
2. नाथी पत्नी श्री कालूराम जाति नायक साकिन 6 एपी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
3. कलावती पत्नी श्री बृजलाल जाति नायक साकिन 6 एपी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
4. रामकुमारी पुत्री श्री बृजलाल पत्नी श्री सतपाल जाति नायक साकिन 6 एपी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
5. रामचन्द्र पुत्र श्री सुखराम जाति नायक (सही जाति मेघवाल) साकिन बीरमाना तहसील सूरतगढ जिला श्रीगगांनगर राजस्थान।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़।

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 आरटीए 1955 मुकदमा न. 156 वर्ष 2020 यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादी श्री शिशपाल शर्मा व श्री अजय कुमार अरोड़ा अधिवक्ता प्रतिवादी न. 1/1 ता 1/4 व श्री रामकुमार वर्मा अधिवक्ता – प्रतिवादी न. 4 व पैरोकारराज तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि :–

अतः वाद वादी ऑशिक स्वीकार कर जैर प्रकरण चक 6 एपी की जमाबन्दी सम्वत् 2068 ता 71 के खाता न. 27/28 के पत्थर न. 234/39 (31) के किला न. 19/0.253, 21/1 में 0.190, 22/1 में 0.228, 23/1 में 0.228 हैक. व पत्थर न. 234/32 (45) के किला न. 1/0.253, 10–11/0.506, 16/0.253, 20 ता 25/1.518 हैक. व पत्थर न. 235/17 (55) के किला न. 5–6/0.506, 15/0.253 हैक. इस प्रकार तीनो पत्थर नम्बरान में 4.188 हैक. नहरी मे से वादी के रकबा का खाता विभाजन के लिये तहसीलदार सूरतगढ को आदेशित किया जाता है वो उक्त रकबा का राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 18 ता 21 की पालना मे वादी के रिहायसी ढाणी व टयूबवैल व कब्जा काश्त को ध्यान मे रखते हूऐ व रास्ता खाला की सुविधा प्रदान करते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवावे ।

नोज ....X.......... मुबलिग .... X .... बाबत .... X .... खर्चा इस मुकदमें में मय सूद बशरह .... X .... फस्दो की पालना .... X .... आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करें। बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनाक 02.02.2024 को जारी की गई।

(सदीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ